भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 3369**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025/17 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

**उर्वरक राजसहायता संबंधी लेखांकन**

**3369. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:**
**एडवोकेट डीन कुरियाकोस:**

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए यूरिया और गैर-यूरिया (पीएण्डके) उर्वरकों में विभाजित कुल राजसहायता परिव्यय (बीई/आरई) और वास्तविक व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) अथवा पोषक तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) जैसी राजसहायता योजनाओं के अंतर्गत आपूर्ति किए गए उर्वरकों (एन,पी,के घटक) की मात्रा प्रत्येक वर्ष के आकलित मात्रा संबंधी लक्ष्यों की तुलना में वर्ष-वार कितनी-कितनी है;
(ग) राजसहायता निधि खर्च न किए जाने और विनिर्माताओं/आयातकों की लंबित प्रतिपूर्ति का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
(घ) सरकार द्वारा राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के विपथन अथवा कालाबाजारी को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

**उत्तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

**(क):** वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए यूरिया और गैर-यूरिया (पीएंडके) उर्वरकों के लिए उर्वरक सब्सिडी पर बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपए में)

| वित्तीय वर्ष | सब्सिडी स्कीम | बजट अनुमान (बीई) | अंतिम संशोधित अनुमान (आरई) | वास्तविक व्यय |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | यूरिया सब्सिडी | 67186.78 | 168676.70 | 168676.70 |
| | पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (पीएंडके) | 42000.00 | 86122.23 | 86122.23 |
| 2023-24 | यूरिया सब्सिडी | 135063.18 | 130221.00 | 130220.94 |
| | पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (पीएंडके) | 44000.00 | 65200.00 | 65199.57 |

**(ख):** वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए आपूर्ति किए गए उर्वरकों (एन, पी, के घटक) की कुल मात्रा और कुल आवश्यकता का विवरण निम्नानुसार है:

(मात्रा लाख मीट्रिक टन में)

| **वर्ष** | **यूरिया** | | **डीएपी** | | **एमओपी** | | **एनपीकेएस** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आवश्यकता | उपलब्धता | आवश्यकता | उपलब्धता | आवश्यकता | उपलब्धता | आवश्यकता | उपलब्धता |
| 2022-23 | 359.19 | 415.82 | 114.2 | 130.93 | 34.17 | 19.55 | 120.69 | 138.15 |
| 2023-24 | 356.08 | 437.47 | 110.18 | 127.42 | 27.62 | 22.74 | 126.31 | 156.51 |

**(ग):** उर्वरक सब्सिडी दावों का निपटान निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन होता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, यूरिया सब्सिडी योजना के अंतर्गत 6 लाख रुपये (0.00005%) और एनबीएस (पीएंडके) योजना के अंतर्गत 43 लाख रुपये (0.00066%) की राशि अप्रयुक्त रह गई, क्योंकि निपटान के समय, वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में शेष धनराशि के बराबर या उससे कम राशि के लिए कोई स्वीकार्य दावा उपलब्ध नहीं था। परिणामस्वरूप, उस स्तर पर उपलब्ध निधि का उपयोग नहीं किया जा सका और वह अप्रयुक्त रह गई।

अब तक, वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के दौरान प्रस्तुत कोई भी उर्वरक सब्सिडी दावा उर्वरक विभाग में लंबित नहीं है।

**(घ):** उर्वरक को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है और इसे उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकारों को उर्वरकों की कालाबाजारी/इनके विपथन को रोकने और उर्वरकों की कालाबाजारी/इनके विपथन में शामिल किसी भी व्यक्ति/उर्वरक कंपनी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए एफसीओ के तहत पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं।

*******